

3/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जि उप।
विपक्षीयता की ओर से अधिकतर
करनाशम कडवासा की ओर से
कालनामा पेश किया गया। जिसे
शामिल पत्रावली किया जाता है।
पत्रावली वास्ते विपक्षीयता के जवाब
है। अर्द्धा दिनंक 29/07/24 को पेश हो।




23/05/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारण उपस्थित।
पत्रावली वास्ते विपक्षीयता को जवाब का अंतिम
अवसर दिया जाकर पत्रावली अर्द्धा दिनंक
07/06/24 को पेश हो।



07/06/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विगज
कर्मों से व्यस्त है, निराल इतरा इतर पत्रावली
पूर्व अर्द्धा दिनंक 20/06/24
को पेश हो।

20/06/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारण उपस्थित।
विपक्षीयता के सम्मत पूर्व में शामिल हुए हुए
जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। विपक्षीयता
की जवाब का अवसर देने के बावजूद भी कोई
जवाब पेश नहीं किया गया। अतः उनका
जवाब बंद किया जाता है। वकील उभयपक्षकारण
ने बहस बुजने का निर्णय किया। वकील उभयपक्षकारण
की बहस सुनी गई। बहस पर मतदान किया गया।
पत्रावली का अध्ययन, अर्द्धा दिनंक किया गया जिससे
यह प्रतीत होता है कि विपक्षीयता का उर्थना पत्र स्वीकार
करने योग्य है। अतः विपक्षीयता का उर्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर अर्द्धा दिनंक निर्णय भला से लिया जाकर शामिल
पत्रावली किया जाता है। पत्रावली पेशलगुमार होकर दाखिल
हो। संख्या से एक कम हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 301/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

खेताराम वगैरा बनाम धनाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक – 20/06/24

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र केकड़ भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा चौखापुरा के खेत खसरा संख्या 6 रकबा 15.1838 हैक्टर, खसरा संख्या 836/147 रकबा 10.9751 हैक्टर, खसरा संख्या 724/5 रकबा 8.1018 हैक्टर किस्म बा.सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेडो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र केकड़ भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा चौखापुरा के खेत खसरा संख्या 6 रकबा 15.1838 हैक्टर, खसरा संख्या 836/147 रकबा 10.9751 हैक्टर, खसरा संख्या 724/5 रकबा 8.1018 हैक्टर किस्म बा.सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

*निर्णय आज दिनांक 20/06/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. खेताराम पुत्र राणाराम 2. खेमी पत्नि आईदानराम 3. देवा पुत्र आईदानराम 4. खीयाराम पुत्र निम्बाराम 5. जुंजाराम पुत्र नीम्बाराम 6. जोगाराम पुत्र नरींगा 7. बाबु पुत्र आदूराम 8. बाली पत्नि नीम्बाराम 9. भगा पुत्र नीम्बाराम 10. रावताराम पुत्र राणाराम 11. वनू देवी पत्नि चेतनराम 12. सोना पु मगनाराम 13. हीरा पुत्र चेतनराम जाति जाट, निवासी चोखापुरा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 	<p>बनाम</p> <p>विप्रार्थीगण</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. धनाराम पुत्र भोजाराम 2. गुमनाराम पुत्र चेतनराम 3. खूमाराम पुत्र. चेतनराम 4. डालूराम पुत्र चेतनराम 5. सिमरथाराम पुत्र चेतनराम 6. सुखराम पुत्र भोजाराम 7. रूपाराम पुत्र भलाराम 8. नेमाराम पुत्र भलाराम 9. पदमो पत्नि मगाराम जाति जाट, निवासी चोखापुरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 10. राजस्थान राज्य तहसीलदार सेड़वा।
---	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 301/2023

दिनांक : 20/6/24

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र केकड़ भू. अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा चोखापुरा के खेत खसरा संख्या 6 रकबा 15.1838 हैक्टर, खसरा संख्या 836/147 रकबा 10.9751 हैक्टर, खसरा संख्या 724/5 रकबा 8.1018 हैक्टर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।


नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।




क्र.सं./म.अ. 2024/2273-76

प्रतिबन्धि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीनी खेताराम पुत्र राणाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण धनाराम पुत्र भोजाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।


 उपखण्ड अधिकारी
 (SDO) सेड़वा
 दिनांक 20/6/24


 उपखण्ड अधिकारी
 (SDO) सेड़वा